

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7. परियोजना/स्कीम का स्थान
- राज्य/संघ शासित क्षेत्र - उत्तराखण्ड
 - जिला - देहरादून
 - वन प्रभाग - कालसी भू0स0 वन प्रभाग कालसी
 - वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) - आरक्षित वन भूमि 0.18 है0
 - वन की कानूनी स्थिति - आरक्षित वन भूमि
 - हरियाली का घनत्व - -
 - प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए - कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा।
 - भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। - भू-क्षरण की संभावना नहीं है।
 - वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी। - प्रस्तावित स्थल आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत है।
 - क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाए) - नहीं।
 - क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। - नहीं।
 - क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, - नहीं।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। - यह न्यूनतम भूमि है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। - नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :-
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। - प्रस्तावित लिफ्ट सिंचाई योजना की डिलेवरी पाईप लाईन द्वारा कोई भी वृक्षों का पातन नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रस्तावित डिलेवरी पाईप लाईन नरो गड्ड के बाये किनारे बिछाकर आगे पुल के नीचे से क्रास होगी। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राविधान नहीं किया गया है।

- ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन - संलग्न।
क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के - -
विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। -
- v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में -
और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित
उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम - फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन
7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) अधिकारी फील्ड स्टाफ एवं
प्रस्तावक विभाग के द्वारा संयुक्त
निरीक्षण किया गया।
12. प्रभाग/जिला प्रोफाइल
- i) जिला का भौगोलिक क्षेत्र - 3088.00 वर्ग किमी0
- ii) जिला का वन क्षेत्र - 1605.0 वर्ग किमी0
- iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र - -
- iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण - -
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि - -
(ख) वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति - -
(क) वन भूमि पर - -
(ख) वनेत्तर भूमि पर - -
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप - चूकि उक्त लिफ्ट सिचाई योजना
वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। द्वारा ग्राम पपडियान, तौलीभूड,
लांघा पष्ठा का लोअर पीपलसार
एवं अपर रुद्रपुर ग्रामों की सिचाई
हेतु पाईप लाईन बिछाई जा रही
है, जो कि क्षेत्रवासियों के हित में
है। अतः प्रस्ताव स्वीकृत करने की
संस्तुति की जाती है।

दिनांक 01-06-2022
स्थान कालसी

हस्ताक्षर
नाम को.को.मर्तेलिया
सरकारी मोहर
प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी।

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।